डीजीटी-ई-11012/01/2022-हिंदी
भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय
*****

नई दिल्ली, दिनांक 05 अप्रैल, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः राजभाषा नियम 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 8(4) के अनुसार हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी करना तथा रोस्टर तैयार करने के संबंध में

राजभाषा नियम 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 10(4) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय के 80% से अधिक कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होने के कारण इसे अधिसूचित किया जा चुका है। ऐसे अधिसूचित मंत्रालय/विभाग/संबंद्ध कार्यालय में राजभाषा नियम 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 8(4) के अनुसार, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना समस्त कार्यालयीन कार्य (टिप्पण, प्रारूपण, इत्यादि) केवल हिंदी में ही करना अपेक्षित है। अतः महानिदेशालय के हिंदी में प्रवीणता, कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं।

2. अनुरोध है कि आप अपने अनुभाग में अधीनस्थ तैनात सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की हिंदी भाषा से संबंधित जानकारी संलग्न प्रपत्र में पूरी तरह से भरवा कर दिनांक 12.04.2024 तक हिंदी एकक, कमरा नं. 328, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को भिजवा दें तथा इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने अनुभाग की ईमेल से वरि. अनुवाद अधिकारी की ईमेल premshankar.jaiswal@gov.in पर भी भिजवा दें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में अनुभाग में आने वाले सभी नए कर्मचारियों से भी यह प्रपत्र भरवा कर अधोहस्ताक्षरी को अवश्य भिजवाया जाए।

3. इसे उप महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

गुलाब चंद्रा
(गुलाब चंद्रा)
सहायक निदेशक, राजभाषा(प्रभारी)

सेवा में,
सभी अधिकारी/कर्मचारी/अनुभाग

प्रतिः सूचनार्थ
1 महानिदेशक/अपर सचिव के पीएसओ
2 उप महानिदेशक के प्र. नि. सचिव